बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग</u>

<u>शुद्धि पत्र</u>

संचिका संख्या–06/वि० 09–31/2016 ..../स्वीकृत्यादेश संख्या–77 दिनांक 14.12.2017 के कंडिका 04 के उप कंडिका (II) के तीसरे पैरा की प्रथम पंक्ति एवं छठी पंक्ति, कंडिका 04 के उप कंडिका (III) के दूसरे पैरा की प्रथम पंक्ति एवं छठी पंक्ति तथा कंडिका 04 के उप कंडिका (IV) की प्रथम पंक्ति एवं तीसरी पंक्ति में उद्धृत **''आधार सीडेड बैंक खाता''** के स्थान पर **''बैंक खाता''** पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अरशद फिरोज)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक– 06/वि० 09–31/2016.......217....... पटना, दिनांक–....23/12..../2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं ह०)/(ले० परीक्षा) बिहार, पटना/ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (व्यय), बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/ सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग/I.T. Manager, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग

पत्रांक– 06/वि० 09–31/2016..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : ..../2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अर्न्तगत कुल राशि ₹3,71,17,48,800/– (तीन अरब एकहत्तर करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

"अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका – 8 के आलोक में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अर्न्तगत कुल 7227900 छात्र–छात्राओं के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹3,71,17,48,800/– (तीन अरब एकहत्तर करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान किया जाता है।

2. इस योजनाअन्तर्गत कंक्षा 1 एवं 2 के APL छात्रों को 400 रूपये की दर से, कक्षा 3, 4 एवं 5 के सभी छात्र/छात्राओं को 500 रूपये की दर से, कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामान्य/APL छात्रों तथा सभी छात्राओं को 700 रूपये की दर से एवं कक्षा 6 से 8 के SC/ST/BPL छात्रों को टॉप अप राशि 300 रूपये की दर से राशि दिया जाना प्रावधानित है।

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु ₹4,70,00,00,000/–(चार अरब सत्तर करोड़ रूपये) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है। प्रस्तावित व्यय की जाने वाली राशि ₹3,71,17,48,800/– (तीन अरब एकहत्तर करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियाँ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष– 0101.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड– 21–2202011090101 में उपबंधित राशि ₹ 2,30,00,00,000/–(दो अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र से, मांग संख्या– 21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष–0102.34.01 –छात्रवृत्ति/वजिफा, विपत्र कोड– 21–2202017890102 में उपबंधित राशि ₹70,00,00,000/– (सत्तर करोड़ रूपये) मात्र से एवं मांग संख्या– 21, बजट मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियॉ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विषय शीर्ष–0102.34.01–छात्रवृत्ति/वजिफा, विपत्र कोड– 21–2202011090102 के अंतर्गत उपबंधित राशि ₹1,70,00,00,000/– (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये) मात्र से होगा।

4. (I) स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निरस्ताराधीन होगी तथा राशि का आवंटन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (योजना एवं लेखा) को किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (योजना एवं लेखा) द्वारा मांग के अनुसार राशि उपावंटित करेंगे। इस क्रम में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन देने से पूर्व सुनिश्चित हो लेंगे कि सभी प्रधानाध्यापकों से 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की हस्ताक्षरित सूची उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित जिले के कोटिवार छात्र एवं छात्राओं जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है, के संख्या के आधार पर राशि उपावंटित करेगें। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं विचलन के लिए सारी जिम्मेवारी संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) पर निर्धारित की जायेगी।

(II) राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपावंटित की जायेगी एवं संबंधित कोषागार से BTC–43 फार्म पर राशि की निकासी की जायेगी। साथ ही 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की सत्यापित सूची संलग्न करना आनिवार्य होगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में एकमुश्त राशि बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रखण्डवार उपावंटन संबंधित प्रखण्डों के लिए चिन्हित् मध्य विद्यालय के प्रधानाध्याधक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जायेगा। उनके द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 पर क्षेत्राधीन विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध कराई गई लाभुकों की सूची संलग्न करते हुए राशि की निकासी की जाएगी। सूची वैसे विद्यार्थी की होनी चाहिए जो नामांकित हो एवं जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसकी जबावदेही संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की होगी। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रखंड स्तर पर) द्वारा राशि कि निकासी हेतु तैयार किये जाने वाले विपत्र पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में ही एकमुश्त राशि बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति से लाभुक छात्र एवं छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खाते में राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भेजा जायेगा और राशि के अंतरण के पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य सचिव अंतरण हेतु तैयार किये जाने वाले सूची पर यह प्रमाण पत्र देंगे की लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है और उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, उनके माता/पिता के नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम, उपस्थिति का प्रतिशत (न्यूनतम 75 प्रतिशत), पोशाक राशि की दर, आधार सीडेड बैंक खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि की विवरण सूची संलग्न की जायेगी।

(III) सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में लाभुकों के लिए राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की सत्यापित सूची संलग्न करना आनिवार्य होगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित विद्यालयों के विधिवत् रूप से गठित एवं अनुमोदित विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में एकमुश्त राशि बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति से लाभुक छात्र एवं छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खाते में राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भेजा जायेगा और राशि के अंतरण के पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव अंतरण हेतु तैयार किये जाने वाले सूची पर यह प्रमाण पत्र देंगे की लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है और उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, उनके माता/पिता के नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम, उपस्थिति का प्रतिशत (न्यूनतम 75 प्रतिशत), पोशाक राशि की दर, आधार सीडेड बैंक खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि की विवरण सूची संलग्न की जायेगी।

(IV) पोशाक की राशि लाभुक छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की जानी है। किसी भी परस्थिति में नगद राशि का वितरण नहीं किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लाभूकों के आधार सीडेड बैंक खाता में ही पोशाक राशि अंतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(V) पोशाक राशि के वितरण के पश्चात् यदि यह ज्ञात होता है कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित नहीं है या लाभूक नामांकित है परंतु उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक व्यक्तिगत रूप से जबावदेह होंगे तथा उनसे राशि वसूली एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(VI) राशि का आवंटन/निकासी के दो माह के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

(VII) अवितरित राशि, यदि हो तो वित्तीय वर्ष में अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जायगा।

(VIII) स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् समर्पित किया जायेगा।

(IX) योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

5. इस मद की राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 06/वि० 09–31/2016 के पृ० 43/टि० पर प्राप्त है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक– 06/वि० 09–31/2016........................ पटना, दिनांक–............................/2017

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (व्यय), बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग (दो प्रति में)/ सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग/I.T. Manager, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–06/वि० 09–31/2016...77... पटना, दिनांक–...14.11.2.../2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/A.C/D.C कोषांग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 1 से 2 तक के APL छात्रों (प्रति छात्र रू० 400/-की दर से) को जिलावार स्वीकृत राशि,
विपत्र कोड– 21-2202011090101

क्रम संख्या	जिला	कक्षा 1 से 2 तक के APL छात्रों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	अररिया	1582	632800
2	अरवल	417	166800
3	औरंगाबाद	4795	1918000
4	बांका	1767	706800
5	बेगूसराय	7783	3113200
6	भागलपुर	2370	948000
7	भोजपुर	651	260400
8	बक्सर	3172	1268800
9	दरभंगा	8028	3211200
10	गया	15876	6350400
11	गोपालगंज	4385	1754000
12	जमुई	10343	4137200
13	जहानाबाद	1168	467200
14	कैमूर	1031	412400
15	कटिहार	3659	1463600
16	खगड़िया	2761	1104400
17	किशनगंज	1064	425600
18	लखीसराय	2263	905200
19	मधेपुरा	1243	497200
20	मधुबनी	5368	2147200
21	मुंगेर	469	187600
22	मुजफ्फरपुर	2990	1196000
23	नालंदा	1045	418000
24	नवादा	1665	666000
25	पश्चिम चम्पारण	6280	2512000
26	पटना	5205	2082000
27	पूर्वी चम्पारण	4640	1856000
28	पूर्णियाँ	3788	1515200
29	रोहतास	3570	1428000
30	सहरसा	3172	1268800
31	समस्तीपुर	2034	813600
32	सारण	3960	1584000
33	शेखपुरा	2690	1076000
34	शिवहर	407	162800
35	सीतामढ़ी	4674	1869600
36	सिवान	5924	2369600
37	सुपौल	1488	595200
38	वैशाली	207	82800
कुल		133934	53573600

(पाँच करोड़ पैंतीस लाख तिहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र)

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 3 से 5 तक के सभी छात्र/छात्राओं (प्रति छात्र/छात्रा रू० 500/–की दर से) को जिलावार स्वीकृत राशि

विपत्र कोड– 21–2202011090101

क्रम संख्या	जिला	कक्षा 3 से 5 तक के सभी छात्र/छात्राओं की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	अररिया	90072	45036000
2	अरवल	15490	7745000
3	औरंगाबाद	59124	29562000
4	बांका	47898	23949000
5	बेगूसराय	121439	60719500
6	भागलपुर	96136	48068000
7	भोजपुर	40352	20176000
8	बक्सर	63766	31883000
9	दरभंगा	178299	89149500
10	गया	209456	104728000
11	गोपालगंज	75116	37558000
12	जमुई	113623	56811500
13	जहानाबाद	21340	10670000
14	कैमूर	41048	20524000
15	कटिहार	66916	33458000
16	खगड़िया	80862	40431000
17	किशनगंज	119245	59622500
18	लखीसराय	44100	22050000
19	मधेपुरा	57445	28722500
20	मधुबनी	462364	231182000
21	मुंगेर	32482	16241000
22	मुजफ्फरपुर	132250	66125000
23	नालंदा	32890	16445000
24	नवादा	151223	75611500
25	पश्चिम चम्पारण	315664	157832000
26	पटना	82216	41108000
27	पूर्वी चम्पारण	213839	106919500
28	पूर्णियॉ	70006	35003000
29	रोहतास	72320	36160000
30	सहरसा	101203	50601500
31	समस्तीपुर	95338	47669000
32	सारण	69734	34867000
33	शेखपुरा	24272	12136000
34	शिवहर	44534	22267000
35	सीतामढ़ी	182259	91129500
36	सिवान	113619	56809500
37	सुपौल	59703	29851500
38	वैशाली	24280	12140000
	कुल	3821923	1910961500

(एक अरब एकानवें करोड़ नौ लाख एकसठ हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 6 से 8 तक के सामान्य/APL छात्र/सभी छात्राओं (प्रति छात्र/छात्रा रू० 700/–की दर से) को जिलावार स्वीकृत राशि, विपत्र कोड– 21–2202011090102

क्रम संख्या	जिला	कक्षा 6 से 8 के सामान्य/APL छात्र/सभी छात्राओं की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये मे)
1	अररिया	25858	18100600
2	अरवल	13214	9249800
3	औरंगाबाद	43681	30576700
4	बांका	22390	15673000
5	बेगूसराय	64531	45171700
6	भागलपुर	52947	37062900
7	भोजपुर	32116	22481200
8	बक्सर	37917	26541900
9	दरभंगा	78106	54674200
10	गया	110456	77319200
11	गोपालगंज	42061	29442700
12	जमुई	44453	31117100
13	जहानाबाद	13320	9324000
14	कैमूर	25472	17830400
15	कटिहार	30117	21081900
16	खगड़िया	34954	24467800
17	किशनगंज	48782	34147400
18	लखीसराय	22352	15646400
19	मधेपुरा	25961	18172700
20	मधुबनी	200640	140448000
21	मुंगेर	20630	14441000
22	मुजफ्फरपुर	78327	54828900
23	नालंदा	27292	19104400
24	नवादा	88756	62129200
25	पश्चिम चम्पारण	103227	72258900
26	पटना	42630	29841000
27	पूर्वी चम्पारण	83965	58775500
28	पूर्णियाँ	33798	23658600
29	रोहतास	35357	24749900
30	सहरसा	32914	23039800
31	समस्तीपुर	64936	45455200
32	सारण	68771	48139700
33	शेखपुरा	13651	9555700
34	शिवहर	17438	12206600
35	सीतामढ़ी	81498	57048600
36	सिवान	101811	71267700
37	सुपौल	25792	18054400
38	वैशाली	23881	16716700
	कुल	1914002	1339801400

(एक अरब तैंतीस करोड़ अन्ठानवें लाख एक हजार चार सौ रूपये मात्र)

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 6 से 8 तक के SC/ST/BPL छात्रों (प्रति छात्र रू० 300/--की दर से) को जिलावार स्वीकृत Top up राशि विपत्र
कोड– 21–2202017890102

क्रम संख्या	जिला	कक्षा 6 से 8 के SC/ST/BPL छात्र की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	अररिया	17061	5118300
2	अरवल	6392	1917600
3	औरंगाबाद	31951	9585300
4	बांका	12320	3696000
5	बेगूसराय	41101	12330300
6	भागलपुर	39293	11787900
7	भोजपुर	21913	6573900
8	बक्सर	21520	6456000
9	दरभंगा	66767	20030100
10	गया	54367	16310100
11	गोपालगंज	28854	8656200
12	जमुई	39761	11928300
13	जहानाबाद	8362	2508600
14	कैमूर	17071	5121300
15	कटिहार	19280	5784000
16	खगड़िया	25196	7558800
17	किशनगंज	38958	11687400
18	लखीसराय	10836	3250800
19	मधेपुरा	24210	7263000
20	मधुबनी	177432	53229600
21	मुंगेर	16956	5086800
22	मुजफ्फरपुर	56150	16845000
23	नालंदा	21484	6445200
24	नवादा	44852	13455600
25	पश्चिम चम्पारण	79476	23842800
26	पटना	26690	8007000
27	पूर्वी चम्पारण	72461	21738300
28	पूर्णियाँ	22401	6720300
29	रोहतास	28775	8632500
30	सहरसा	23168	6950400
31	समस्तीपुर	38536	11560800
32	सारण	47741	14322300
33	शेखपुरा	4135	1240500
34	शिवहर	15023	4506900
35	सीतामढ़ी	61945	18583500
36	सिवान	49928	14978400
37	सुपौल	25105	7531500
38	वैशाली	20570	6171000
कुल		1358041	407412300

(चालीस करोड़ चौहत्तर लाख बारह हजार तीन सौ रूपये मात्र)

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग